न्वा विकास किया जा चका है जिनका कार्या कयन केन्द्रीय संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्यों के अनुसंधान केन्द्रों में किया जा रहा है।

(ख) इन किस्मों के बीज सम्बन्धित संस्थानों एवं विभागों में पहले से ही उपलब्ध हैं।

**Withdrawal of History Text Books**

*9. SHRI SAUGATA ROY:

SHRI C. K. CHANDRAPPAN:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have ordered the withdrawal of any History text books from circulation;

(b) if so, names of the books and their authors; and

(c) the reasons for ordering this withdrawal?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

**मूंगफली, उसके खोल और तेल का उत्पादन**

*10. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 में मूंगफली मूंगफली के खोल और मूंगफली के तेल का राज्य वार कितना उत्पादन होने का अनुमान है तथा 1976–77 में इनका राज्य वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई कार्यक्रम या योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)**

(क) वर्ष 1976–77 के दौरान मूंगफली का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है

| राज्य | छिलके सहित मूंगफली का उत्पादन (हजार मीटरी टन) (खरीफ र बी) |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 595.5 |
| 2. बिहार | 6.5 |
| 3. गुजरात | 1898.4 |
| 4. हरियाणा | 10.4 |
| 5. हिमाचल प्रदेश | 1.9 |
| 6. कर्नाटक | 336.7 |
| 7. केरल | 18.4 |
| 8. मध्य प्रदेश | 303.6 |
| 9. महाराष्ट्र | 605.2 |
| 10. उड़ीसा | 112.6 |
| 11. पांडिचेरी | 5.1 |
| 12. पंजाब | 151.0 |
| 13. राजस्थान | 156.5 |
| 14. तमिलनाडु | 828.7 |
| 15. त्रिपुरा | 0.5 |
| 16. उत्तर प्रदेश | 231.4 |
| | 5262.4 |

वर्ष 1977–78 के दौरान मूंगफली के उत्पादन के पक्के अनुमान जून, 1978 में किसी समय उपलब्ध होंगे । तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर आशा की जाती है कि वर्ष 1976–77 के 47.8 लाख मीटरी टन के स्तर की तुलना में खरीफ, 1977 के दौरान मूंगफली का उत्पादन अधिक हो सकता है । मूंगफली (छिलके सहित मूंगफली के अलावा) और मूंगफली के तेल के उत्पादन के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) देश में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मूंगफली उत्पादक राज्यों में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

1. गहन तिलहन विकास कार्यक्रम
2. नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों का का विस्तार करना ।

गहन तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली नीति में उन चुने हुए जिलों में, जहां उत्पादन को तकनीकी सुविकसित है और तेजी से उत्पादन बढ़ाने की अच्छी सम्भावना है, पैकेज कार्यक्रम अपनाना शामिल है । उन्नत किस्मों के उपयोग और पौधों की अनुकूलतम संख्या को सुनिश्चित करने, उर्वरकों की संतुलित मात्रा के उपयोग और कृमियों के नियंत्रण पर विशेष बल दिया जाता है । वर्ष 1977–78 के दौरान मूंगफली का कार्यक्रम 8 राज्यों के 18 जिलों में 14,29,000 हैक्टार क्षेत्र पर क्रियान्वित किया जा रहा है ।

नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों के विस्तार की योजना के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली नीति, गहन तिलहन विकास कार्यक्रम की नीति के अनुसार ही है, लेकिन इस योजना का उद्देश्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में मूंगफली का सिंचित क्षेत्र बढ़ाना है । वर्ष 1977-78 के दौरान इस योजना के अधीन 4 राज्यों में मूंगफली के अन्तर्गत 1,79,400 हैक्टार नया अतिरिक्त क्षेत्र लाने का विचार है ।

उपर्युक्त उल्लिखित दो योजनाओं के, अन्तर्गत विस्तार कर्मचारियों के अलावा, केन्द्रक तथा आधारी बीजों के उत्पादन मिनोकिटों, प्रदर्शनों की लागत पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता और वनस्पति रक्षण उपकरणो पर राज-सहायता दी जाती है ।

वर्ष 1977–78 के दौरान मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के कार्य को और गति प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा गठित सचिवों के विशेष दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं :—

1. भूमि तथा हवाई दोनों कार्य के जरिये अब तक की तुलना में बड़े पैमाने पर वनस्पति रक्षण उपाय करना ।
2. फास्फेट युक्त उर्वरकों का उपयोग करना ।
3. उन्नत किस्मों के अच्छी कोटि के बीजों का उत्पादन तथा वितरण करने के लिए कार्यक्रम मजबूत बनाना ।
4. सहायक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था के साथ प्रति क्विंटल 160 रुपये के साहाय्य मूल्य की घोषणा करना ।
5. मूंगफली के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना ।